[2020] 3 एस. सी. आर 765

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

गोपालदास भगवान दास और ओआरएस।

(2016 की सिविल अपील संख्या 3636)

फरवरी 04,2020

[आर. एफ. नरीमन, एस. रवींद्र भाट और

वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। 4 (1) , 6 – 1943 में, सरकार। भारत सरकार ने 4 एकड़ और 34 गुंठा भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण की मांग की

नं. मुंबई के मलाड गाँव का (भाग)-1949 में, उपरोक्त भूमि में से 2.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था-1975 में,

अधिसूचना यू/जारी की गई थी धारा 4 (1) 8623 वर्ग मीटर की उक्त सीमा प्राप्त करना-घोषणा यू / एस. 6 1978 में जारी किया गया-ड्राफ्ट पुरस्कार में पारित किया गया

1986 – वर्ष 2002 में वर्तमान मामले में दी गई चुनौती-उसी धाराओं के अंतर्गत आने वाली अन्य भूमि से संबंधित कार्यवाही में। 4

नजरअंदाज किया जाना चाहिए-आयोजितः तथ्यों पर, विलंब और विलंब के सवाल का जवाब एस के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। 4 अधिसूचना जिसे बंद कर दिया गया था कुलसुम आर. नाडियाडवाला का मामला तथ्यों में बहुत ही अधिसूचना है

यह मामला जिसमें पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था

- अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ कि एस। 4 अधिसूचना न केवल गाँव मलाड में विभिन्न अन्य भूमि से संबंधित है, बल्कि

वधावन, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर नहीं गया अधिग्रहण को अब तक गाँव वधावन के रूप में खराब घोषित करने की सीमा

जहाँ तक मलाड गाँव का संबंध है, जहाँ कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में भूमि उससे सटे की थी।

वर्तमान भूमि, बहुत एस। 4 अधिसूचना को रद्द कर दिया गया और घोषित कर दिया गया

शून्य और शून्य-यह मामला होने के कारण, अपीलार्थी के पक्ष में वर्तमान अपील की अनुमति देना न्याय के हित में नहीं होगा, क्योंकि यह दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव के बराबर होगा जो

अन्यथा समान रूप से रखा गया-इसके अलावा, कुलसुम आर. नाडियाडवाला का मामला

समाचार पत्र प्रकाशन के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करता था-यह केवल आधिकारिक राजपत्र और सार्वजनिक में प्रकाशन की आवश्यकता से संबंधित था।

उस इलाके में दी जा रही अधिसूचना के सार की सूचनाएं जिसमें भूमि का अधिग्रहण किया गया है, दोनों को एस की संचयी और अनिवार्य आवश्यकताएं माना गया था। 4 - इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक रक्षा परियोजना है जिसमें कब्जा 1942 से संघ के पास है, वही तथ्य प्राप्त होंगे जो कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में मिले थे जिसमें राहत दी गई थी।

मामला समान तथ्यों पर एक अलग निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकता है-भारत रक्षा नियम, 1939-आर। 75 ए-भारत का संविधान-कला। 141 और 142।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

संबंधित, जहां कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में भूमि वर्तमान भूमि के बगल में थी, उसी धारा 4 अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है और अमान्य घोषित कर दिया गया है, और यह मामला होने पर, भारत संघ के पक्ष में वर्तमान अपील की अनुमति देना न्याय के हित में नहीं होगा, क्योंकि यह दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव के बराबर होगा जो

अन्यथा समान रूप से रखा गया। [पैरा 8] [772 जी-एच; 773 ए-डी] 1.2 भले ही धारा 4 अधिसूचना का समाचार पत्र प्रकाशन 1984 में पहली बार संशोधन द्वारा आया था, सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता जहां भूमि इसके अतिरिक्त स्थित है।

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए, शुरुआत से ही हमेशा मौजूद था। कुलसुम आर. नाडियाडवाला का मामला यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस से संबंधित नहीं था।

वी. गोपालदास भगवान दास और ओआरएस।

अखबार प्रकाशन बिल्कुल भी। यह केवल आवश्यकता से निपटता है

सरकारी राजपत्र में प्रकाशन और उस इलाके में दी जा रही अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचनाएँ जिसमें भूमि का अधिग्रहण किया गया है, दोनों को धारा 4 की संचयी और अनिवार्य आवश्यकताएँ माना गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में, संविधान पीठ कई प्रश्नों पर विचार कर रही है, जो सभी भूमि में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 के निर्माण से संबंधित हैं

अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013। इस प्रकार, प्रतीक्षा करने के लिए इस मामले को स्थगित करना पूरी तरह से अनावश्यक है

इस मामले में संविधान पीठ का निर्णय। इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक रक्षा परियोजना है जिसमें कब्जा 1942 से संघ के पास है, वही तथ्य प्राप्त होंगे जो कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में कुलसुम आर. नाडियाडवाला को राहत दी गई है। इसलिए, यह मामला समान तथ्यों पर एक अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भविष्य के अन्य मामलों को बाध्य करने वाली कानून की घोषणा और मामले के तथ्यों में किए गए आदेश के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है जो किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर पर्याप्त न्याय करने के लिए समान रूप से किया जा सकता है, कभी-कभी अनुच्छेद 142 के तहत। कुलसुम आर. नाडियाडवाला में, हालांकि अपीलार्थी का दावा था

जहां तक अन्य 50 प्रतिशत का संबंध है, यह निर्णय केवल विचाराधीन भूमि के केवल 50 प्रतिशत तक ही सीमित है।

इस तथ्य के संदर्भ में कि अपीलकर्ता एक मृतक इस्माइल नाडियाडवाला के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और एक अन्य दावेदार था जिसका नाम इब्राहिम नाडियाडवाला था, जिसे संभवतः 50 प्रतिशत संपत्ति दी गई थी। चूंकि केवल इस्माइल नाडियाडवाला का

उत्तराधिकारी अपील पर मुकदमा चला रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्देश दिया गया था। [पारस 10-15] [774 B-H; 775 A-B]

कुलसुम आर. नाडियाडवाला बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

(2012) 6 एस. सी. सी. 328: 2012 (7) स्केल 212-पर निर्भर।

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहर लाल और

अन्य आदि. [2019] 14 स्केल 470-- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

2012 (7) स्केल 212

[2019] 14 स्केल 470

पै

रा 6

[202

0] 3 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3636

2016 से।

2002 की रिट याचिका No.1667 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के 11.09.2015 पर संशोधित 31.07.2015 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री रेखा पांडे और अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वाई. राजा गोपाल राव, सुश्री वाई. विस्मई राव और भाव रतन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन जे.

1. इस मामले का कुछ उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है।

2. 1943 में, भारत सरकार ने भारत रक्षा नियमों के नियम 75 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई के मलाड गांव के सर्वेक्षण संख्या 120/2 (भाग) वाले राजबहादुर भगवानदास हरिदास के स्वामित्व वाली 4 एकड़ और 34 गुंठा भूमि की मांग की।

1939. आई. डी. 1 को ठाणे के कलेक्टर ने सर्वेक्षण संख्या 120 भाग 2 में उपरोक्त 4 एकड़ 34 गुंठों में से 2.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया। अंततः, पहले भूमि की मांग किए जाने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 (1) के तहत एक अधिसूचना 8623 वर्ग मीटर की उपरोक्त सीमा प्राप्त करते हुए जारी की गई थी। अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा जारी की गई थी

30.11.1978 पर। यहाँ उत्तरदाताओं के अनुसार, 23.09.1986 पर अधिनियम की धारा 11 के तहत एक मसौदा पुरस्कार पारित किया गया था, जिसके खिलाफ

अधिनियम की धारा 18 और 30 दोनों के तहत संदर्भ दिए गए थे। उत्तरदाताओं ने पुष्टि की कि प्रतीकात्मक कब्जा लेने के बाद 06.01.1987 राज्य द्वारा ऐसा अधिकार आज तक राज्य के पास बना हुआ है।

3. दायर की गई कार्यवाही में, जहां तक गाँव मलाड में अन्य भूमि का संबंध था, उसी धारा 4 अधिसूचना द्वारा कवर किया गया था, यह

कुलसुम आर. नाडियाडवाला बनाम में न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2012) 6 एस. सी. सी. 328 ने भूमि मालिक की अपील को स्वीकार कर लिया। पैराग्राफ 2 में यह कहने के बाद कि वही धारा 4 अधिसूचना जारी की गई थी ताकि भारत संघ के लिए एक केंद्रीय अध्यादेश डिपो बनाया जा सके।

बचाव उद्देश्यों के लिए, निर्णय दर्ज करता है कि इन के लाभार्थी भूमि, केंद्र सरकार होने के नाते, प्रदान की गई थी, लेकिन भारत और ओ. आर. एस. के संघ में दिखाई नहीं दी।

वी. गोपालदास भगवान दास और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन जे.]

अपील की सुनवाई का समय। कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले (उपरोक्त) में अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष कई बिंदुओं पर तर्क दिया, जिनका महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने मूल रूप से इस आधार पर विरोध किया कि रिट याचिका को देरी और विलंब के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए था जैसा कि विवादित उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा किया गया था। अधिनियम की धारा 4 को निर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 4 के तहत अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता और यह आवश्यकता कि -

अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण को पदार्थों की सार्वजनिक सूचनाएँ प्रकाशित करनी चाहिए

किसी सुविधाजनक स्थान या उस इलाके के स्थानों में ऐसी अधिसूचना जिसमें अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि स्थित है, संचयी शर्तें हैं, दोनों अनिवार्य हैं। इसके बाद अदालत ने कहाः -

" 13. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों ने अपना जवाब हलफनामा दायर किया था। उन्होंने अपीलार्थियों की इस दलील पर विवाद नहीं किया कि उन्होंने अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यक कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया था। उन्होंने केवल दोहराया कि ऐसी अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। चूंकि अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत आवश्यक अनिवार्य आवश्यकता

प्रत्यर्थियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, जबकि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करते समय, हमारी राय में, पूरी अधिग्रहण कार्यवाही

इसे शून्य घोषित करने की आवश्यकता है। 14. जे एंड के हाउसिंग बोर्ड बनाम में यह न्यायालय। कुंवर संजय कृष्ण कौल ने कहा है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित इच्छुक व्यक्ति को नोटिस देने की सभी औपचारिकताओं का अनिवार्य रूप से उसमें प्रदान किए गए तरीके से पालन किया जाना चाहिए, भले ही इच्छुक व्यक्तियों को अधिग्रहण की कार्यवाही का ज्ञान हो। इस न्यायालय ने आगे इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 32. यह तय कानून है कि जब कोई वैधानिक प्रावधान प्रदान करता है

किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक विशेष तरीके से, उक्त कार्य या कार्य अधिनियम में निर्धारित तरीके के अनुसार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि संबंधित पक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही से अवगत थे या व्यक्तिगत नोटिसों के साथ दिए गए थे, स्थिति को तब नहीं बदलता है जब क़ानून यह बहुत स्पष्ट करता है कि सभी प्रक्रियाओं/तरीकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि भूमि मालिक राज्य अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने में विफल रहे, अधिकारियों को यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि

सख्ती से सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। "[2020] 3 एस. सी. आर.

15. इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रचार किए गए पहले मुद्दे पर पहुंच गए हैं, हम नहीं सोचते कि अन्य मुद्दे जो विद्वान अपीलार्थियों के लिए सलाह देते हैं।

हमारे सामने उठाया और प्रचार किया है जिसका जवाब देने की आवश्यकता है।

4. यह केवल उल्लेख किया जा सकता है कि कुलसुम आर. नाडियाडवाला (ऊपर) में, चुनौती एक रिट याचिका के माध्यम से दायर की गई थी। वर्तमान चुनौती के विपरीत, जो केवल में बनाया गया था

2002 .

5. लैंट की ओर से पेश वकील सुश्री रेखा पांडे ने इस अपील के समर्थन में कई मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले और सबसे पहले, उन्होंने इस न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित इस न्यायालय के एक आदेश को स्वीकार करते हुए इस मामले को तीन न्यायाधीशों के एक बड़े एच के पास भेज दिया है। यह आदेश इस प्रकार हैः

" 1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम) की धारा 4 के तहत प्रतिवादियों की भूमि का अधिग्रहण अधिसूचना दिनांक 24.10.1975 के माध्यम से किया गया था। उक्त भूमि की मांग पहले वर्ष 1942 से 1945 में रक्षा उद्देश्य के लिए की गई थी। पुरस्कार वर्ष 1986 में दिया गया था और भूमि का प्रतीकात्मक कब्जा 06.01.1987 पर लिया गया था। पुरस्कार के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं।

पुरस्कार। अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ बनाया गया था जिसका निपटारा कर दिया गया था। इसके बाद, प्रतिवादियों द्वारा रिट याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई थी कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना का कोई उचित प्रकाशन नहीं किया गया था।

यह एक अनिवार्य आवश्यकता थी।

2. उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की याचिका को बरकरार रखा

कुलसुम आर. नाडियाडवाला बनाम राज्य में इस न्यायालय का निर्णय

महाराष्ट्र "(2012) 6 एस. सी. सी. 328।

वर्ष 1942 से 1945 तक और आई. डी. 1 पर जारी धारा 4 के तहत अधिसूचना को पहली बार आई. डी. 2 पर दायर रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी, उच्च न्यायालय को देरी के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर देना चाहिए था क्योंकि इस तरह की याचिका पर विचार करना जनहित को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्भर निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण की अवधारणा की अनदेखी करता है लकड़ियाँ।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. गोपालदास भगवान दास और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन जे.]

4. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि देरी और अड़चनों के बावजूद, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में रद्द कर दिया

5. हमारा विचार है कि 27 वर्षों के बाद अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए देरी और अड़चनें एक बाधा हो सकती हैं। तमिलनाडु आवास बोर्ड, चेन्नईवर्सस एम. मेयप्पन और ओआरएस (2010) 14 एससीसी 309 में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंतर्देशीय अधिग्रहण कार्यवाही को अदालत को बासी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं में बाधा डाल सकता है। तीन में विरोधाभासी दृष्टिकोण-में न्यायाधीश पीठ का निर्णय दयाल सिंह बनाम भारत संघ (2003) 2 एस. सी. सी. 593 को रवींद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 84 और तीन-न्यायाधीश मामले में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत माना गया था।

प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड बनाम एम. ए. मामले में पीठ का फैसला।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कुलसुम आर. नाडियाडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 328 मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया विचार कि देरी और बाधाओं को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, स्वतंत्र नहीं है। संदेह से।

7. इस प्रकार, हमारा विचार है कि इस मामले को रखने की आवश्यकता है

तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष। 8. तदनुसार, कागजातों को माननीय प्रमुख के समक्ष रखा जाए।

उचित निर्देशों के लिए भारत का न्याय "।

6. विद्वान वकील सुश्री पांडे ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि कानूनी मामले के रूप में, धारा 4 अधिसूचना के खिलाफ रिट याचिका दायर करने में इतनी बड़ी देरी को संभवतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले (ऊपर) में, वास्तव में, देरी है

केवल एक वर्ष का, क्योंकि इस मामले में पुरस्कार केवल वर्ष 1986 में जारी किया गया था, और उस मामले में दायर रिट याचिका 1987 की थी। वर्तमान मामले में, रिट याचिका, जैसा कि पहले कहा गया है, केवल 2002 में दायर की गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, अंतर का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस मामले में प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया गया था, जो कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले (उपरोक्त) में नहीं है। उन्होंने वह मुद्दा भी उठाया जो [2020] 3 एस. सी. आर. द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत संघ जो कुलसुम आर. नाडियाडवाला का मामला है (ऊपर)

यह "इनक्यूरियम के अनुसार" है क्योंकि इसने 1984 के संशोधन अधिनियम से उत्पन्न एक बिंदु का निर्णय किया, जब धारा 4 की अधिसूचना केवल 1975 की थी, 1984 का संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि, किसी भी मामले में, संविधान पीठ इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम

होने के बराबर होगा। इस आधार पर, उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले का बचाव किया।

8. हालाँकि इस न्यायालय ने कुलसुम आर. मामले के फैसले को ध्यान में रखते हुए अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया है।

नाडियाडवाला के मामले में कहा गया है कि देरी और अड़चनों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, हमारा मानना है कि इस मामले के तथ्यों पर हमें इस सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि भारत और ओ. आर. एस. के संघ द्वारा धारा 4 की अधिसूचना जारी की गई थी।

वी. गोपालदास भगवान दास और ओआरएस। [आर. एफ. नरीमन जे.]

कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में इस मामले के तथ्यों में बहुत अधिसूचना है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले के पैराग्राफ 13 में, इस अदालत ने यह कहते हुए पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया कि उन्हें अमान्य घोषित किया जाए। हम Ms.Pandey के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि धारा 4 अधिसूचना न केवल गाँव मलाड में विभिन्न अन्य भूमि से संबंधित है, बल्कि पूरी तरह से एक अलग गाँव में भूमि से भी संबंधित है। , गाँव

वधावन, और यह कि इस न्यायालय का निर्णय इस हद तक नहीं गया कि जहां तक ग्राम वधावन का संबंध है, अधिग्रहण को खराब घोषित कर दिया गया। जहाँ तक मलाड गाँव का संबंध है, जहाँ कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में भूमि वर्तमान भूमि के बगल में थी, उसी धारा 4 अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है और अमान्य घोषित कर दिया गया है। शून्य, और यह मामला होने पर, भारत संघ के पक्ष में वर्तमान अपील की अनुमति देना न्याय के हित में नहीं होगा, क्योंकि यह दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव के बराबर होगा जो अन्यथा समान रूप से रखे गए हैं।

9. द्वारा की गई कुछ अन्य प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हुए

सुश्री पांडे, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में, उच्च न्यायालय ने इसमें दायर रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि रिट याचिका दायर करने में 12 साल की देरी हुई थी, न कि इस आधार पर कि एक साल की देरी हुई थी क्योंकि इस मामले में पुरस्कार केवल 1986 में पारित किया गया था। दूसरा, कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दिए जाने के विपरीत, इस मामले में वास्तव में नोटिस दिए जाने के तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि कुलसुम आर. नाडियाडवाला में अभिनिर्धारित किया गया है, जिन अनिवार्य शर्तों का पालन किया जाना है, उन्हें अपील के तहत निर्णय द्वारा निम्नानुसार निरस्त कर दिया गया हैः

श्री मनोज शंकरराव गोहद का शपथ पत्र, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (4) इस तथ्यात्मक [2020] 3 एस. सी. आर. के बारे में पूरी तरह से चुप हैं।

और इस याचिका में कानूनी चुनौती का संबंध है।

10. जहां तक "प्रति इनक्यूरियम" बिंदु का संबंध है, इसका यह कहकर निपटारा किया जा सकता है कि भले ही समाचार पत्र में

धारा 4 अधिसूचना 1984 में पहली बार संशोधन द्वारा आई, सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता जहां भूमि स्थित है, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के अलावा, स्थापना के समय से हमेशा थी। कुलसुम आर. नाडियाडवाला का मामला समाचार पत्र प्रकाशन से संबंधित नहीं था।

बिल्कुल भी। इसने केवल आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता और अधिसूचना के सार के बारे में सार्वजनिक सूचनाओं पर विचार किया। उस इलाके में दिया गया है जिसमें भूमि का अधिग्रहण किया गया है, दोनों को धारा 4 की संचयी और अनिवार्य आवश्यकताएं माना गया था।

11. जहां तक इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले (उपरोक्त) का संबंध है, संविधान पीठ कई प्रश्नों पर विचार कर रही है, जो सभी निष्पक्षता के अधिकार की धारा 24 के निर्माण से संबंधित हैं।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता और पुनर्वास अधिनियम, 2013।

इस मामले में संविधान पीठ के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए। 13. इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक रक्षा परियोजना है जिसमें कब्जा 1942 से संघ के पास है, वही तथ्य प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित हैं -

कुलसुम आर. नाडियाडवाला का मामला जिसमें कुलसुम आर. नाडियाडवाला को राहत दी गई है। इसलिए, यह मामला समान तथ्यों पर एक अलग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है।

14. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कोई भी घोषणा कि पूरी धारा 4 अधिसूचना को रद्द नहीं किया गया है, क्योंकि कुलसुम आर. नाडियाडवाला के मामले में अपीलकर्ताओं का दावा केवल 50 प्रतिशत भूमि तक ही सीमित था, इस घोषणा के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है -

कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत अन्य भविष्य के मामलों को बाध्य करेगा और मामले के तथ्यों में किया गया एक आदेश जो किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर पर्याप्त न्याय करने के लिए समान रूप से किया जा सकता है, कभी-कभी अनुच्छेद 142 के तहत।

15. कुलसुम आर. नाडियाडवाला के फैसले के पैराग्राफ 16 को पढ़ने पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालाँकि अपीलार्थी का दावा यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस था।

विचाराधीन भूमि के केवल 50 प्रतिशत तक सीमित, जहां तक अन्य ए 50 प्रतिशत का संबंध है, निर्णय स्वयं इस तथ्य का संदर्भ देता है कि अपीलकर्ता एक मृतक इस्माइल नाडियाडवाला के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और एक अन्य दावेदार था जिसका नाम इब्राहिम नाडियाडवाला था, जिसे संभवतः 50 प्रतिशत संपत्ति दी गई थी। चूंकि केवल इस्माइल नाडियाडवाला के उत्तराधिकारी अपील पर मुकदमा चला रहे थे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्देश दिया गया था।

16. यह मामला होने के कारण, हम संघ की अपील को खारिज करते हैं।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे